पत्र संख्या पी0–1/04–09–37–2019/ 433

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक,

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक– 21/07/20

विषयः– **श्री हनुमान राम, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, सिवान जिला बल सम्प्रति सेवानिवृत को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु सूचना प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री हनुमान राम, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, सिवान जिला बल सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित सिवान जिला विभागीय जाँच (कार्यवाही) में अंतिम आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से पारित किया जाना है। उक्त विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व श्री राम को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु पत्राचार के माध्यम से निदेशित किया गया था, किन्तु, उनके द्वारा वांछित स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। इस संबंध में उनकी सेवानिवृति को देखते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु सूचना प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति की प्रति मूल में संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के सभी संस्करणों एवं पी0आर0डी0 के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

ज्ञापांक– पी0–1/04–09–37–2019/ 433 पटना, दिनांक 21.7.20

प्रतिलिपि :–

1. आई0टी0 प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित प्रेस विज्ञप्ति को पुलिस विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाय। साथ ही, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के ई–मेल पर भी इस पत्र एवं प्रेस विज्ञप्ति को भेजने की कार्रवाई की जाय।

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना

पंकज

E/Mamta/Pankaj sir/letter

प्रेस विज्ञप्ति

श्री हनुमान राम, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, सिवान जिला बल सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सिवान जिला विभागीय जाँच (कार्यवाही) संख्या–29/16 संचालित है, जिसमें जाँच प्राधिकार–सह–पुलिस अधीक्षक, सारण से प्राप्त मंतव्य के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से अंतिम आदेश पारित किया जाना है। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय का पत्र संख्या–638/450438/पी0–1, दिनांक–11.12.2019 तदनुसार पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, सिवान का ज्ञापांक–7071/र0का0, दिनांक–18.12.2019 द्वारा आपके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच प्राधिकार सह–पुलिस अधीक्षक, सारण के मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराते हुए आपको 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। किन्तु आपके द्वारा अबतक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच प्राधिकार–सह–पुलिस अधीक्षक, सारण के मंतव्य के विरूद्ध अपना स्पष्टीकरण 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें। निर्धारित अवधि के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर यह माना जायेगा कि आप जाँच प्राधिकार सह–पुलिस अधीक्षक, सारण के मंतव्य से सहमत हैं तथा उक्त विभागीय कार्यवाही में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा एकतरफा निर्णय लिया जायेगा।

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना

E/Mamta/Pankaj sir/letter